>

Title: Introduction of the National Highways (Amendment) Bill, 2012 (Substitution of new section for section 5).

श्री **महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा):** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, **1956** का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the National Highways Act, 1956."

The motion was adopted.

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।